1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2015(2015/00172)

सलीम खोखर पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ सरबी मोहम्मद पुत्र समसुदीन जाति व्यापारी जरिये मुखत्यार नत्थू खां पुत्र समसुदीन जाति मुसलमान व्यापारी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। —अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सांवल जाति धाणक निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमागनढ। —रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.10.2014 प्रकरण सं. 225/2013
अनवान अंग्रेज सिंह बनाम सुरजीत कौर आदि
द्वारा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा।

उपस्थितः—
श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेश कुमार कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 25.5.22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पिता सफी मोहम्मद ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया, जिसमें कथन किया कि वाद भूमि वर्ष 1977 से पहले से वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में है पिछले 32 वर्षो से लगातार बिना रोक टोक खुल्लम खुल्ला काबिज है कानूनन लगान का 10 गुणा अदा करने के बाद वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह भूमि वादी के नाम गैरखातेदारी दर्ज चल रही है। वादी ने प्रश्नगत भूमि रोही मौजा के खसरा नं0 835/0.97 ... 0.0240 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादी के ... गैर खातेदार ... जाकर खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष मांगा। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 वाद भूमि ... चिपते ही पडता है वह बिना अधिकरर खिलाफ कानून नाजायज तरीके से ताकत क बल पर भूमि की सींव डोल तोड़कर धीरे धीरे काबिज होना चाहता है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रतिवादी सं0 को जरिय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:52 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रतिवादी सं0 1 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वरलाल व जगमाल, जगराम पिसरान हरचंद की शामिल खाता की है जो दादालाई खातेदारी है। मौजूदा समय में यह भूमि वादी के नाम से रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा नं. 835 की 3.17 बीघा, 836 की 4.1 बीघा गैर कानूनी रूप से दर्ज है। पूर्व में यह भूमि जगमाल, जगराम के नाम से खसरा सं0 1156 की खातेदारी थी जो सैटलमेंट के बाद नये खसरा सं0 835, 836 में दर्ज होगी। प्रतिवादी ने काउण्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया।

3. विचारण न्यायालय में दौराने वाद वादी सफी मोहम्मद की मृत्यु हो गई। सफी मोहम्मद के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 9 (2) सीपीसी प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र देरी से पेश होने के कारण अपीलाधीन आदेश के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया गया एवं काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. रेस्पोडेण्ट सं0 1 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया, अपीलाण्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने आवेदन पत्र में यह स्पष्ट अंकित किया था कि वह मजदूरी करने सउदी अरब गया हुआ था वहां से 23.02.2012 को आने पर पुराने कागजात में वसीयत मिलने पर अजीतपुरा में कृषि भूमि के बारे में एवं उसका पता करने पर न्यायालय में प्रकरण जैरेकार होने की जानकारी मिली। इस प्रकार ज्ञान से आवेदन पत्र भीतर मीयाद है। विचारण न्यायालय ने वाद को तो अबैटमैन्ट के आधार पर खारिज कर दिया परन्तु काउण्टर क्लेम को अवैधानिक तरीके से डिक्री कर दिया जबकि काउण्टर क्लेम भी प्रतिवादी सं0 1 की और प्रस्तुत दावा की परिभाषा में आता है एंव दावा के अनुरूप ही चलता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की और से अपने काउण्टर क्लेम/प्रतिदावा मं उपशमन को अपास्त हेतु कोई आवेदन पत्र ही विचारण न्यायालय के प्रस्तुत नहीं किया जबकि उन्हें वादी के फौत होने के का ज्ञान दिनांक 30.04.2012 को वादी के उत्तराधिकारी/विधि प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होते ही हो गया था। रेस्पोडेण्ट का काउण्टर क्लेम भी खारिज किये जाने योग्य था। अपीलाधीन निर्णय एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो प्रभावहीन है जिसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलाण्ट का अपीलाधीन निर्णय एवं का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय डिक्री निरस्त किया जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

7. अपीलाण्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कारण प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है वादी सफी मोहम्मद ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने काउण्टर क्लेम/प्रतिदावा पेश किया था। दौराने दावा वादी सफी मोहम्मद फौत हो गया एवं अपीलाधीन निर्णय के द्वारा दावा का अबेट करते हुए काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है। जबकि प्रतिदावा भी दावा की तरह से ही ट्रीट होता है, प्रतिदावा भी अबैट होना चाहिए था। प्रश्गनत आदेश एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। इस प्रकार के आदेश को चुनौती देने की कोई मियाद नहीं होने से न्यायहित में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2014 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट को वादी जगह प्रतिस्थापित किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 की तलबी करवाकर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:52 IST
Reason: SelfAttested